फा.सं. 1503/21/2017-टीवी(आई)
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
*****

दिनांक: 30.04.2020

परिपत्र

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश, 2011 जारी किए थे। तेजी से विकसित हो रही प्रसारण प्रौद्योगिकी से चुनौतियों, प्रसारण क्षेत्र में बाजार परिदृश्य और अन्य प्रचालन घटनाक्रमों में चुनौतियों से निपटने तथा ठोस ढांचे पर कारोबार करना आसान बनाने के सिद्धांत के अनुरूप अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के बाद टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग हेतु नए नीतिगत दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। भारत से टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नए नीतिगत दिशानिर्देशों के मसौदे पर मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों से विचार हेतु टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

3. हितधारक, अवर सचिव (टीवीआई) 'ए' विंग कमरा नंबर-652ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को 15 दिन के भीतर अपने सुझाव/टिप्पणी प्रस्तुत कर सकते हैं। ई-मेल: **usi.inb@nic.in**

संलग्नक: यथोपरि।

(विजय कौशिक)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23381699

सेवा में,

1. अध्यक्ष, भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ), बी-304, तीसरा तल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049 (ई मेल: **ibf@ibfindia.com)**
2. अध्यक्ष, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), मंटेक हाउस, सी-56/5 दूसरा तल, सेक्टर 62, नोएडा-201301 (ई मेल: **nba@nbanewdelhi.com)**
3. सभी प्राइवेट टीवी चैनल
4. सभी टेलीपोर्ट ऑपरेटर
5. सभी न्यूज़ एजेंसियां (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया)
6. सभी डीटीएच ऑपरेटर

इस मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से

टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश

भाग I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभण – (1) इन्हें भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश, 2020 (जिन्हें इसमें आगे 'दिशानिर्देश' कहा गया है) कहा जाएगा।

(2) ये संपूर्ण भारत पर लागू होंगे।

(3) ये ..... 2020 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं – इन दिशानिर्देशों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'प्रसारण सेवा' से आवेदकों, सरकारी संगठनों और अन्य व्यक्तियों के साथ संचार करने के लिए दिशानिर्देशों के तहत इसमें आवेदन और पत्र प्राप्त करने, उनपर कार्रवाई करने, उनका प्रसारण करने के लिए तथा टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग से संबंधित विभिन्न पैरामीटरों और उनसे जुड़े मामलों के संबंध में सूचना का सृजन करने में सक्षम मंत्रालय का ऑनलाइन पोर्टल अभिप्रेत है।

(ख) 'कंपनी' से कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी अभिप्रेत है।

(ग) 'डीएसएनजी' से डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग अभिप्रेत है और यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी है जिससे न्यूज रिपोर्टर टीवी स्टूडियो से बाहर दूरस्थ स्थानों से प्रसारण कर सकते हैं।

(घ) 'निदेशक' से प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक/कार्यकारी निदेशक, अपर निदेशक अभिप्रेत है परंतु इसमें स्वतंत्र निदेशक, अंशकालिक निदेशक, मनोनीत निदेशक शामिल नहीं हैं।

(ङ) किसी भी कंपनी या निगमित निकाय के संबंध में 'वित्तीय वर्ष' से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि अभिप्रेत है, और जहां इसे किसी वर्ष की 1 जनवरी को या इसके बाद निगमित किया गया है, अर्थात अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त अवधि।

(च) 'एलएलपी' से सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत कोई सीमित देयता साझेदारी अभिप्रेत है।

(छ) 'मंत्रालय' से सूचना और प्रसारण मंत्रालय अभिप्रेत है।

(ज) 'न्यूज चैनल' से कोई प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल अभिप्रेत है जो मुख्यत: समाचार और समसामयिक सामग्री के कार्यक्रम प्रसारित करता है।

(झ) 'गैर-न्यूज चैनल' से किसी न्यूज चैनल को छोड़कर प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल अभिप्रेत है।

(ञ) 'एनओसीसी' से नेटवर्क प्रचालन नियंत्रण केंद्र, दूरसंचार विभाग अभिप्रेत है।

(ट) 'गैर-प्रचालन चैनल' से एक ऐसा चैनल अभिप्रेत है जिसका सिग्नल लगातार 30 दिन की अवधि के लिए भारत में अपलिंक और/या डाउनलिंक नहीं किया जा रहा है।

(ठ) 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' से मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), कंपनी सचिव या किसी कंपनी का ऐसा अन्य अधिकारी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, अभिप्रेत है।

(ड) 'एसएनजी' से सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग अभिप्रेत है और यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी है जिससे न्यूज रिपोर्टर टीवी स्टूडियो से बाहर दूरस्थ स्थानों से प्रसारण कर सकते हैं।

(ढ) 'साझेदारी धारण पद्धति' से विभिन्न निवेशकों द्वारा धारित किसी कंपनी के शेयरों की संख्या अभिप्रेत है।

(ण) 'टेलीपोर्ट' से एक भू-केंद्र स्थल अभिप्रेत है जहां से ऑडियो, वीडियो सामग्री चलाने वाले कई टीवी चैनलों को अनुमत्य फ्री-क्वेंसी बैंड पर भू-स्थानिक सैटेलाइट से अपलिंक किया जा सकता है।

(त) 'टेलीपोर्ट हब' से टीवी चैनलों की अपलिंकिंग के लिए टेलीपोर्टों का ढांचा अभिप्रेत है जहां विभिन्न सैटेलाइटों के लिए कई एंटिना स्थापित किए जाते हैं, और प्रत्येक सैटेलाइट के लिए प्रत्येक एंटिना हेतु डब्ल्यूपीसी से बेतार प्रचालन लाइसेंस प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

(थ) 'डब्ल्यूपीसी' से बेतार आयोजना एवं समन्वय, दूरसंचार विभाग अभिप्रेत है।

भाग II
टेलीपोर्ट/टेलीपोर्ट हब

3. आवेदन प्रस्तुत करना – (1) कोई कंपनी या एलएलपी टेलीपोर्ट/टेलीपोर्ट हब स्थापित करने के लिए **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके

प्रसारण सेवा पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो:

(क) इसका **परिशिष्ट II** में विनिर्दिष्ट उतनी राशि का न्यूनतम निवल मूल्य हो जो, उस वर्ष, जिस वर्ष में आवेदन किया गया हो, से ठीक पहले के वित्त वर्ष के अंतिम दिन को है, जैसा कि उसके उस वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित/गैर-लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है;

(ख) कंपनी/एलएलपी में विदेशी सीधा निवेश उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित भारत सरकार की विदेशी सीधे निवेश (एफडीआई) नीति के अनुरूप हो;

(2) ऑनलाइन आवेदन पर पात्रता शर्तों की दृष्टि से कार्रवाई की जाएगी और यह अंतरिक्ष विभाग और गृह मंत्रालय से अनापत्ति और उनके अनुमोदन के अधीन होगा।

(3) यदि आवश्यक समझा जाए, तो लिखित में उसके कारण दर्ज करते हुए मंत्रालय आवेदन में किए गए दावों की सत्यता का पता लगाने के लिए वास्तविक परिसर/स्थान का निरीक्षण करवा सकता है।

4. अनुमति प्रदान करना – (1) गृह मंत्रालय और अन्य प्राधिकारियों से अनापत्ति और अनुमोदन प्राप्त होने पर, और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के बाद कि आवेदक कंपनी/एलएलपी को अनुमति दी जा सकती है, मंत्रालय आशय-पत्र (एलओआई) जारी करेगा जिसमें कंपनी/एलएलपी से निर्धारित अवधि के भीतर प्रथम वर्ष का अनुमति शुल्क अदा करने और निष्पादन बैंक गारंटी **(परिशिष्ट III)** प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा।

(2) प्रथम वर्ष का अनुमति शुल्क अदा करने और निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद, मंत्रालय 10 वित्तीय वर्षों के लिए टेलीपोर्ट स्थापित करने हेतु उस कंपनी/एलएलपी को लिखित आदेश द्वारा अनुमति प्रदान करेगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत किसी कंपनी/एलएलपी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी :

(क) यह मंत्रालय के साथ 'अनुमति प्रदान करने का करार' नामक करार पर हस्ताक्षर करे;

(ख) यह **परिशिष्ट II** में यथा निर्धारित उस अवधि, जिसके लिए अनुमति दी गई है, का वार्षिक शुल्क तथा देरी से भुगतान का ब्याज अदा करे;

(ग) यह स्पेक्ट्रम के प्रयोग हेतु डब्ल्यूपीसी को लागू शुल्क/रॉयल्टी अदा करे और अंतरिक्ष विभाग और डब्ल्यूपीसी द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित सभी निबंधन और शर्तों का पालन करें;

(घ) यह अनुमत्य टेलीपोर्ट से केवल उन टीवी चैनलों को अपलिंक करे जिनकी मंत्रालय द्वारा अनुमति/अनुमोदन प्रदान किया जाए, और किसी टीवी चैनल को तुरंत उसी समय अपलिंक करना बंद करे जैसे ही मंत्रालय द्वारा ऐसे चैनल की अनुमति/अनुमोदन वापस लिया जाए, या मंत्रालय द्वारा ऐसी समयावधि के लिए ऐसे अपलिंकिंग को बंद करने के लिए विशिष्ट आदेश दिया जाए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो;

(ङ) यह **परिशिष्ट III** में यथा निर्धारित टेलीपोर्ट चालू करने के संबंध में रॉल आउट के दायित्व का पालन करे।

(4) मंत्रालय लिखित में कारण दर्ज करते हुए अनुमति देने से मना कर सकता है।

परंतु यह कि मना की गई ऐसी प्रत्येक अनुमति के बारे में उस कंपनी/एलएलपी को इसका कारण दर्शाते हुए सूचित किया जाएगा।

(5) जैसे ही टेलीपोर्ट चालू होगा, कंपनी/एलएलपी इसके चालू होने की स्थिति के संबंध में मंत्रालय को सूचित करेगी।

5. अनुमति का नवीकरण – (1) कोई कंपनी/एलएलपी, जिसे धारा 4 के तहत अनुमति दी गई है, अनुमति के नवीकरण के लिए उस माह, जिसमें प्रारंभिक अनुमति की अवधि समाप्त होगी, के समाप्त होने से कम से कम 6 माह पहले **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके प्रसारण सेवा पोर्टल पर आवेदन कर सकती है।

(2) नवीकरण की अनुमति 10 वित्त वर्ष की अवधि के लिए होगी और यह उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जो धारा 3 और 4 के तहत अनुमति के लिए अपेक्षित है।

भाग III
टेलीविजन चैनल की अपलिंकिंग

6. आवेदन प्रस्तुत करना – (1) कोई कंपनी या एलएलपी अलग से न्यूज टीवी चैनल अपलिंक करने और गैर-न्यूज टीवी चैनल अपलिंक करने के लिए **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके प्रसारण सेवा पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं:

(क) इसका **परिशिष्ट II** में विनिर्दिष्ट उतनी राशि का न्यूनतम निवल मूल्य हो, जो उस वर्ष, जिस वर्ष में आवेदन किया गया हो, से ठीक पहले के वित्त वर्ष के अंतिम दिन हो, जैसा कि उसके उस वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित/गैर-लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है;

(ख) यह आवेदन के साथ चैनल का प्रस्तावित नाम और लोगो तथा नाम और लोगो के स्वामित्व संबंधी ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।

परंतु यह कि यदि प्रस्तावित नाम और लोगो पर कंपनी का स्वामित्व नहीं है, तो कंपनी द्वारा नाम और लोगो के स्वामी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित भारत सरकार की विदेशी सीधे निवेश (एफडीआई) नीति में निर्धारित सभी निबंधन और शर्तों को पूरा करे;

(घ) यह अपने आवेदन में अपने सभी शेयरधारकों, ऋण करारों और ऐसे अन्य करारों, जिन्हें अंतिम रूप दिया गया है या जिनपर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है, का उल्लेख करे;

(ङ) यह ऐसे किसी व्यक्ति, जो भारत का निवासी नहीं है, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, का नाम, पता और पूरा ब्यौरा सूचित करे;

(च) यह किसी भी विदेशी/अनिवासी भारतीय के नाम, पते और ब्यौरे का उल्लेख करे जिसे कंपनी में परामर्शदाता के रूप में या अन्य किसी पदनाम से एक वर्ष में 60 से अधिक दिनों के लिए या नियमित कर्मचारी के रूप में नियोजित/नियुक्त किया जाना है;

(छ) कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम तीन चौथाई निवेशक और सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संपादकीय स्टॉफ निवासी भारतीय हो;

(ज) कंपनी के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व जहां तक संभव हो शेयर धारिता के अनुपात में हो;

(झ) कंपनी/एलएलपी का अपने संसाधनों और परिसंपत्तियों पर संपूर्ण प्रबंधन नियंत्रण, प्रचालन स्वतंत्रता और नियंत्रण हो और इसकी न्यूज और समसामयिक मामलों का टीवी चैनल चलाने की पर्याप्त वित्तीय क्षमता हो;

(ञ) आवेदक कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चाहे उसका पदनाम कोई भी हो, और/या चैनल का प्रमुख निवासी भारतीय होगा।

(2) ऑनलाइन आवेदन पर पात्रता शर्तों की दृष्टि से कार्रवाई की जाएगी और यह अंतरिक्ष विभाग और गृह मंत्रालय और जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से अनापत्ति और उनके अनुमोदन के अधीन होगा।

(3) यदि आवश्यक समझा जाए, तो लिखित में उसके कारण दर्ज करते हुए मंत्रालय आवेदन में किए गए दावों की सत्यता का पता लगाने के लिए वास्तविक परिसर/स्थान का निरीक्षण करवा सकता है।

7. **अनुमति प्रदान करना -** (1) गृह मंत्रालय और अन्य प्राधिकारियों से अनापत्ति और अनुमोदन प्राप्त होने पर, और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के बाद कि आवेदक कंपनी/एलएलपी को अनुमति दी जा सकती है, मंत्रालय आशय-पत्र (एलओआई) जारी करेगा जिसमें कंपनी/एलएलपी से निर्धारित अवधि के भीतर प्रथम वर्ष का अनुमति शुल्क अदा करने और निष्पादन बैंक गारंटी **(परिशिष्ट III)** प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा।

(2) प्रथम वर्ष का अनुमति शुल्क अदा करने और निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद, मंत्रालय 10 वित्तीय वर्षों के लिए टेलीपोर्ट स्थापित करने हेतु उस कंपनी/एलएलपी को लिखित आदेश द्वारा अनुमति प्रदान करेगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत किसी कंपनी/एलएलपी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी :

(क) यह **परिशिष्ट II** में यथा निर्धारित उस अवधि, जिसके लिए अनुमति दी गई है, का वार्षिक शुल्क तथा देरी से भुगतान का ब्याज अदा करे,

(ख) यह **परिशिष्ट III** में यथा निर्धारित टीवी चैनल को चालू करने के संबंध में रॉल आउट के दायित्व का पालन करेगा।

(ग) धारा 8 में निर्धारित विशेष शर्तों का पालन करेगा।

(4) मंत्रालय लिखित में कारण दर्ज करते हुए अनुमति देने से मना कर सकता है।

परंतु यह कि मना की गई ऐसी प्रत्येक अनुमति के बारे में उस कंपनी/एलएलपी को इसका कारण दर्शाते हुए सूचित किया जाएगा।

(5) कंपनी/एलएलपी, टीवी चैनल चालू होने पर, इसके चालू होने की स्थिति के संबंध में मंत्रालय को सूचित करेगी और मंत्रालय या इसकी विनिर्दिष्ट एजेंसी को अपने सभी तकनीकी पैरामीटर प्रदान करेगी।

8. सैटेलाइट टीवी चैनल अपलिंक करने संबंधी विशेष शर्तें - (1) कंपनी/एलएलपी, जिसे धारा 6 के तहत कोई टीवी चैनल अपलिंक करने की अनुमति दी गई है, उसमें निर्धारित शर्तों के अलावा निम्नलिखित का भी पालन करेगी :

(क) अपलिंकिंग, सी बैंड (भारतीय या विदेशी सैटेलाइट) या केयू बैंड (केवल भारतीय सैटेलाइट पर) की जानी है, परंतु यह एक साथ दोनों में नहीं की जानी है।

(ख) केबल टेलीविजन नेटवक (विनियमन) अधिनियम, 1995 में यथा निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं तथा इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना।

(ग) 90 दिन की अवधि तक अपलिंक की गई सामग्री का रिकॉर्ड रखना और जब कभी अपेक्षित हो, इसे सरकार की किसी भी एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करना।

(घ) ऐसी कोई भी सूचना प्रस्तुत करना जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर मांगी जाए।

(ङ) जब कभी अपेक्षित हो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों या अन्य किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा कार्यक्रमों या सामग्री की निगरानी के लिए कंपनी की अपनी ही लागत पर आवश्यक निगरानी सुविधा प्रदान करना।

(च) डब्ल्यूपीसी विंग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले बेतार प्रचालन लाइसेंस के निबंधन और शर्तें।

(2) मंत्रालय लिखित में कारण दर्ज करते हुए सैटेलाइट टीवी चैनल की वास्तविक सुविधाओं का निरीक्षण कर सकता है और इसकी सुविधाओं तथा दस्तावेजों का सत्यापन कर सकता है तथा कंपनी/एलएलपी ऐसे निरीक्षण की अनुमति देगी।

(3) कंपनी/एलएलपी, जब कभी अपेक्षित हो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों या अन्य किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा कार्यक्रमों या सामग्री की निगरानी के लिए अपनी ही लागत पर आवश्यक निगरानी सुविधा प्रदान करेगी।

(4) कंपनी/एलएलपी डब्ल्यूपीसी विंग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले बेतार प्रचालन लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का पालन करेगी।

9. टीवी चैनल का नाम और लोगो – (1) कोई कंपनी/एलएलपी अनुमत्य टीवी चैनल पर केवल वह नाम और लोगो प्रदर्शित करेगी जिसे मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

परंतु यह है कि अनुमति नहीं दिए गए नाम और लोगो के प्रदर्शन या दोहरे लोगो के प्रदर्शन को दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा जिसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(2) कोई कंपनी/एलएलपी नाम और लोगो में परिवर्तन के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ मंत्रालय को प्रसारण सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।

(3) मंत्रालय इस बात से संतुष्ट होने के बाद आवेदित परिवर्तन की अनुमति देगा कि आवेदन सभी दृष्टि से पूरा है।

10. अनुमत्य टीवी चैनल की प्रचालन स्थिति – (1) किसी टीवी चैनल से अपेक्षा है कि वह अनुमति प्रभावी रहने के दौरान चालू रहे।

(2) यदि कोई टीवी चैनल लगातार 60 दिन की अवधि के लिए चालू नहीं रहता है, तो कंपनी/एलएलपी चैनल के चालू न रहने के कारणों के साथ मंत्रालय को स्थिति से अवगत कराएगी।

परंतु यह है कि लगातार 60 दिन से ज्यादा किसी चैनल के चालू न रहने के संबंध में मंत्रालय को सूचना न देने पर उसे दिशानिर्देशों के तहत एक उल्लंघन माना जाएगा।

परंतु यह भी कि चैनल लगातार 90 दिन से अधिक अवधि के लिए बंद नहीं रहेगा।

11. अनुमति का नवीकरण – (1) कोई कंपनी/एलएलपी, जिसे धारा 7 के तहत अनुमति दी गई है, उस माह, जिसमें प्रारंभिक अनुमति की अवधि समाप्त होनी है, के समाप्त होने से कम से कम छह माह पहले **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके प्रसारण सेवा पोर्टल पर अनुमति के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) नवीकरण हेतु अनुमति 10 वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए होगी और यह उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जो धारा 6, 7, 8 और 9 के तहत अनुमति के लिए अपेक्षित है।

भाग IV
सैटेलाइट टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग

12. आवेदन प्रस्तुत करना - (1) कोई कंपनी या एलएलपी टीवी चैनल डाउनलिंक करने के लिए **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके प्रसारण सेवा पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है, बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो :

(i) इसका **परिशिष्ट II** में विनिर्दिष्ट उतनी राशि का न्यूनतम निवल मूल्य हो, जो उस वर्ष, जिस वर्ष में आवेदन किया गया है, से ठीक पहले के वित्त वर्ष के अंतिम दिन हो, जैसा कि उसके उस वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित/गैर-लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है,

(ii) इसके पास भारत के भू-भाग के लिए अपने स्वामित्व का चैनल होना चाहिए या उसके पास उसके विशिष्ट विपणन/वितरण अधिकार होने चाहिए, जिसमें चैनल के लिए विज्ञापन और अंशदान राजस्व के अधिकार शामिल हैं तथा इसे आवेदन के समय उसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

परंतु यह है कि यदि कंपनी/एलएलपी के पास विशिष्ट विपणन/वितरण अधिकार हैं, तो उसके पास विज्ञापन, अंशदान और कार्यक्रम सामग्री हेतु चैनल की ओर से अनुबंध निष्पादित करने का प्राधिकार भी होना चाहिए।

(iii) यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित भारत सरकार की विदेशी सीधे निवेश (एफडीआई) नीति में निर्धारित सभी निबंधन और शर्तों को पूरा करे।

(iv) यह कंपनी के सभी निदेशकों और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नाम और ब्यौरे प्रस्तुत करे।

(v) यह डाउनलिंकिंग और वितरण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले उपस्करों/उपकरणों के विनिर्माताओं की नाम पद्धति, मेक, मॉडल, नाम और पते, डाउनलिंकिंग और वितरण प्रणाली की स्कीम के ब्लॉक डायग्राम जैसे तकनीकी विवरण प्रस्तुत करेगी और 90 दिनों तक निगरानी तथा रिकॉर्ड रखने की सुविधाएं भी प्रदर्शित करेगी।

(vi) इसे इन दिशानिर्देशों के तहत ऐसी अनुमति धारित करने से अयोग्य घोषित न किया गया हो।

(vii) डाउनलिंक किए गए चैनल के पास प्रसारण के देश के विनियामक या लाइसेंसदाता प्राधिकारी द्वारा प्रसारण किए जाने हेतु लाइसेंस दिया गया हो या उसकी अनुमति दी गई हो, आवेदन करते समय इसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाना होगा।

(2) ऑनलाइन आवेदन पर पात्रता शर्तों की दृष्टि से कार्रवाई की जाएगी और यह अंतरिक्ष विभाग और गृह मंत्रालय और जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से अनापत्ति और उनके अनुमोदन के अधीन होगा।

13 अनुमति प्रदान करना – (1) गृह मंत्रालय और अन्य प्राधिकारियों से अनापत्ति और अनुमोदन प्राप्त होने पर और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने पर कि आवेदक कंपनी/एलएलपी अनुमति देने हेतु पात्र है, और प्रस्तावित चैनल की सार्वजनिक अवलोकन हेतु भारत में डाउनलिंक करने की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के बाद, मंत्रालय टीवी चैनल को डाउनलिंक करने के लिए उस कंपनी/एलएलपी को लिखित आदेश द्वारा अनुमति प्रदान करेगा।

(2) किसी चैनल, जिसे अन्य देशों से अपलिंक किया गया है, को डाउनलिंक करने के लिए इस धारा के तहत अनुमति उस माह, जिसमें अनुमति जारी की गई है, के समाप्त होने से 10 वित्तीय वर्षों के लिए होगी।

परंतु यह है कि किसी टीवी चैनल, जिसे भारत से अपलिंक किया गया है, के संबंध में डाउनलिंक करने की अनुमति धारा 7 के तहत टीवी चैनल को अपलिंक करने की दी गई अनुमति के साथ समाप्त हो जाएगी।

(3) किसी कंपनी/एलएलपी को अनुमति प्रदान करना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

(क) यह **परिशिष्ट III** में यथा विनिर्दिष्ट राशि की और इसमें निर्धारित समयावधि के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी;

(ख) यह उस वर्ष, जिसमें टीवी चैनल चालू होता है से **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट राशि तथा **परिशिष्ट I** में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क के देरी से भुगतान के ब्याज सहित वार्षिक अनुमति शुल्क अदा करेगी।

(ग) यह **परिशिष्ट III** में यथा निर्धारित टीवी चैनल चालू होने के संबंध में रॉल आउट के दायित्व का पालन करेगी।

(घ) यह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करेगी।

(ङ) यह 2007 के खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम 11 के उपबंधों और इसके तहत बनाए गए नियमों, दिशानिर्देशों तथा जारी अधिसूचनाओं का पालन सुनिश्चित करेगी।

(च) यह टीवी चैनलों पर सामग्री के विनियमन के संबंध में मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य किसी भी संहिता/मानकों, दिशानिर्देशों/प्रतिबंधों का पालन करेगी।

(छ) यह डाउनलिंकिंग और वितरण प्रणाली/नेटवर्क समरूपण में किसी भी उन्नयन, विस्तार या अन्य कोई भी परिवर्तन करने से पहले मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(ज) यह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत एमएसओ/केबल ऑपरेटरों या भारत सरकार द्वारा जारी डीटीएच दिशानिर्देशों के तहत पंजीकृत किसी डीटीएच ऑपरेटर या अपने मौजूदा दूरसंचार लाइसेंस के तहत विधिवत अनुमति प्राप्त या दूरंसचार विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी इंटरनेट प्रोटोकाल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता या ऐसी सेवा प्रदान करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एचआईटीएस ऑपरेटरों के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत विधिवत अनुमति प्राप्त किसी एचआईटीएस ऑपरेटर को सैटेलाइट टीवी चैनल सिग्नल रिशेप्सन डिकोडर प्रदान करेगी।

(झ) यह सुनिचित करेगी कि इसके किसी भी चैनल, जिसका केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 या डीटीएच दिशानिर्देशों या फिलहाल लागू अन्य किसी भी कानून के तहत पंजीकरण समाप्त किया गया हो या जिसका भारत में प्रसारण या पुर्नप्रसारण निषेध किया गया हो, को कूट लेखन (एनक्रिप्शन) या अन्य किसी भी माध्यम से भारत में प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

(ञ) यह देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने और उनकी निगरानी के लिए स्थापित किसी भी विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों, नियमों और विनियमों का पालन करेगी।

(ट) यह डाउनलिंक किए गए कार्यक्रमों के रिकॉर्ड को 90 दिन की अवधि तक रखेगी और जब कभी अपेक्षित हो, तो उसे किसी भी सरकारी एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(ठ) आवेदक कंपनी, जब भी अपेक्षित हो, मंत्रालय या अन्य किसी भी सरकारी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा कार्यक्रमों या सामग्री की निगरानी करने के लिए अपनी ही लागत पर आवश्यक निगरानी सुविधा प्रदान करेगी।

(ण) किसी भी युद्ध, आपदा/राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं की स्थिति में, सरकार को किसी भी या सभी चैनलों की डाउनलिंकिंग/रिशेप्शन/ प्रसारण/पुर्नप्रसारण को विनिर्दिष्ट अवधि तक निषिद्ध करने की शक्ति होगी।

4. मंत्रालय लिखित में कारण दर्ज करते हुए अनुमति देने से मना कर सकता है।

परंतु यह है कि मना की गई ऐसी प्रत्येक अनुमति के बारे में कंपनी/एलएलपी को उसका कारण दर्शाते हुए सूचित किया जाएगा।

5. कंपनी/एलएलपी, टीवी चैनल चालू होने पर, उसके चालू होने की स्थिति के संबंध में मंत्रालय को सूचित करेगी और मंत्रालय या किसी विनिर्दिष्ट एजेंसी को अपने सभी तकनीकी पैरामीटर प्रदान करेगी।

14. अनुमति का नवीकरण – (1) कोई कंपनी/एलएलपी, जिसे धारा 14 के तहत अनुमति दी गई है, अनुमति के नवीकरण हेतु उस माह, जिसमें प्रारंभिक अनुमति की अवधि समाप्त होगी, की समाप्ति से कम से कम छह माह पहले **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके प्रसारण सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।

(2) नवीकरण हेतु अनुमति 10 वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए होगी और यह उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जो धारा 13 के तहत किसी अनुमति के लिए अपेक्षित है।

भाग-V

समाचार ऐजेंसी

15. आवेदन प्रस्तुत करना - (1) एक कंपनी अथवा एलएलपी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन टीवी चैनल पर अपलिंक करने के लिए न्यूज एजेंसी की स्थापना हेतु **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके प्रसारण सेवा पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है:

(क) कंपनी/एलएलपी पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) से मान्यता प्राप्त हो;

(ख) कंपनी/एलएलपी में प्रस्तुत विदेशी निवेश भारत सरकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार है, जो कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है;

(2) ऑनलाइन आवेदन पात्रता शर्तों के दृष्टिकोण से संशोधित किया जाएगा।

16. अनुमति प्रदान करना – (1) मंत्रालय स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कि कंपनी/एलएलपी अनुमति प्रदान करने योग्य है, और गृह मंत्रालय की मंजूरी/अनुमोदन पर, महीने के अंत में पांच वित्तीय वर्षों के लिए जिसमें अनुमति प्रदान की गई है किसी टीवी चैनल को समाचारों को अपलिंकिग के लिए समाचार एजेंसी के लिए कंपनी/एलएलपी को लिखित में आदेश द्वारा अनुमति प्रदान करेगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत किसी कंपनी/एलएलपी को अनुमति प्रदान करना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :

(क) कंपनी/एलएलपी अपलिंकिंग का उपयोग समाचार एकत्रित करने और केवल अन्य समाचार एजेंसियों/प्रसारकों को इसके आगे वितरण के लिए करेगा।

(ख) कंपनी जनता द्वारा प्रत्यक्ष ग्रहण के लिए टीवी कार्यक्रमों/चैनलों को अपलिंक नहीं करेगा।

(ग) कंपनी/एलएलपी को अनुमति की अवधि के दौरान पीआईबी की मान्यता जारी रहेगी।

परंतु यदि किसी समय कंपनी/एलएलपी को दी गई पीआईबी की मान्यता समाप्त हो जाती है, तब इन विनिर्देशों के तहत समाचार एजेंसी को दी गई अनुमति रद्द मानी जाएगी।

(3) किसी समाचार एजेंसी को प्रदान की गई अनुमति को आरंभिक अनुमति प्रदान करने के लिए सामान्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण शुल्कों के भुगतान पर प्रसारण सेवा पोर्टल पर कंपनी/एलएलपी द्वारा किए गए आवेदन पर पांच वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

भाग VI
सी बैण्ड और केयू बैण्ड में एसएनजी/डीएसएनजी उपकरणों की खरीद और किराये पर लेना

17. डीएसएनजी/एसएनजी उपकरणों की खरीद और उपयोग - (1) निम्नलिखित संस्थाएं मंत्रालय की अनुमति के अधीन एसएनजी/डीएसएनजी उपकरण की खरीद के लिए पात्र हैं:

(i) ऐसी अनुमति की अवधि के लिए टेलीपोर्ट का संचालन करने के लिए मंत्रालय की अनुमति प्राप्त कंपनी/एलएलपी;

(ii) ऐसी अनुमति की अवधि के लिए, समाचार चैनल को अपलिंक करने के लिए मंत्रालय की अनुमति प्राप्त कंपनी/एलएलपी;

(iii) ऐसी अनुमति की अवधि के लिए, समाचार एजेंसी के लिए मंत्रालय की अनुमति प्राप्त कंपनी/एलएलपी;

(2) उप-धारा(1) में उल्लिखित कोई निकाय, एसएनजी/पीएसएनजी उपकरण की खरीद के लिए, उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रसारण सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

(3) मंत्रालय, स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कि आवेदन नियमानुकूल है और अन्यथा प्रस्ताव अनुमोदन के लिए उपयुक्त है, उपकरण की खरीद के लिए निम्नलिखित शर्तों पर निकाय को अनुमति प्रदान करेगा।

(क) अपलिंकिंग को एंक्रिप्टेड मोड में किया जाना चाहिए, जिससे सिर्फ सीमित उपयोक्ता समूह में प्राप्त हो सके। सिग्नल को सिर्फ लाइसेंस की अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट पर डाउनलिंक और सिर्फ उस टेलीपोर्ट के जरिए अनुमति प्राप्त सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारण के लिए अपलिंक किया जाना चाहिए।

(ख) कंपनी/एलएलपी **परिशिष्ट III** में विनिर्दिष्ट रोलआउट दायित्वों का पालन करेगी।

(ग) कंपनी/एलएलपी यह वचनबद्धता देगी कि एसएनजी/डीएसएनजी के जरिए एकत्रित किए गए फीड कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के अनुरूप होंगे।

(घ) एसएनजी/डीएसएनजी के प्रयोग को अनुमति सिर्फ उन क्षेत्रों/प्रदेशों/राज्यों में होंगी जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से निषिद्ध नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी/एलएलपी एसएनजी/डीएसएनजी टर्मिनलों के खरीद के दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगी और विभिन्न स्थानों पर इन टर्मिनलों के लगाने के बारे में सूचित करेगी।

(च) एसएनजी/डीएसएनजी का प्रयोग करने हेतु अनुमति प्राप्त कंपनी डब्ल्यूपीसी के आवृति प्राधिकरण के लिए डब्ल्यूपीसी को आवेदन करेगी।

(छ) अनुमति प्राप्त कंपनी स्थान और इवेंटक्रमों का दैनिक रिकार्ड बनाए रखेगी जो एसउएनजी/डीएसएनजी टर्मिनलों द्वारा कवर और अपलिंक किए गए हैं और उनके प्रमुख तथा लाइसेंसिंग प्राधिकरण अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसमें गृह मंत्रालय के अधिकरण, जब कभी आवश्यक हो शामिल होंगे।

(ज) अनुमति प्राप्त कंपनी रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रवेश नहीं करेगी।

(झ) उपकरण को सुरक्षा के दृष्टिकोण से घेराबंदी किए गए क्षेत्रों में नहीं ले जाया जाएगा।

(ञ) एसएनजी/डीएसएनजी का प्रयोग करने हेतु इच्छुक कंपनी/चैनल शपथ में देंगे कि इसका उपयोग सिर्फ कैप्टिव उपयोग के लिए लाइव समाचार एकत्रित करने और फूटेज संग्रहण के लिए किया जाएगा।

(ट) पूर्वकथित नियम और शर्तों में से किसी का उल्लंघन एसएनजी/ डीएसएनजी के उपयोग की अनुमति का निरसन/रद्दकरण होगा।

(ठ) अनुमति देने वाले अधिकारी जब कभी आवश्यक हो निर्धारित शर्तों में संशोधन करेंगे अथवा नई शर्तें सम्मिलित करेंगे।

18. एसएनजी/डीएसएनजी उपकरण का प्रयोग - (1)एसएनजी/डीएसएनजी के प्रयोग की अनुमति लाइव न्यूज/फूटेज संग्रहण और बिंदु-वार प्रसारण के लिए भारत से अपलिंक किए गए समाचार और समसामयिकी चैनलों को दी जाएगी।

(2) धारा 16 के तहत अनुमति वाली पीआईबी से मान्यता प्राप्त समाचार एजेंसियां न्यूज/फूटेज के संग्रहण/प्रसारण के लिए एसएनजी/डीएसएनजी का प्रयोग कर सकती हैं।

(3) गैर-न्यूज चैनल की अनुमति वाली कंपनी/एलएलपी जो अपने स्वयं के अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट से अपलिंक की गई है, अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट के लिए वीडियो फीड के स्थानांतरण के लिए, अपने अनुमोदित चैनलों के लिए एसएनजी/डीएसएनजी उपकरण का प्रयोग कर सकती हैं।

(4) कोई भी निकाय, जिसे एसएनजी/डीएसएनजी उपकरण की खरीद/प्रयोग के लिए केंद्रीय सरकार से अनुमति नहीं मिली है, समाचार एकत्रित करने अथवा किसी इवेंट को अपलिंक करने के उद्देश्यों के लिए अथवा किसी अन्य निकाय को किराये पर देने के लिए ऐसे उपकरण का प्रयोग किसी भी तरीके से नहीं कर सकता है, और कोई भी अनुमति प्राप्त चैनल किसी निकाय से जिसे केंद्रीय सरकार से अनुमति नहीं मिली है से समाचार एकत्रित करने अथवा किसी इवेंट को अपलिंक करने के उद्देश्य से, एसएनजी/डीएसएनजी उपकरण को किराए पर नहीं लेंगे।

बशर्ते एसएनजी/डीएसएनजी या तो गैर-अनुमति प्राप्त निकाय द्वारा अथवा किसी अनुमति प्राप्त चैनल के मालिक द्वारा किसी तरह का अनधिकृत प्रयोग/हायरिंग इन दिशानिर्देशों के तहत उल्लंघन माना जाएगा जो अनुमति का स्थगन/रद्दकरण सहित, दण्डात्मक कार्रवाई आमंत्रित करेगा।

भाग VII
समाचार और गैर-समाचार चैनलों द्वारा इवेंट्स की सीधी अपलिंकिंग

19. इवेंट्स का सीधा प्रसारण - (1) कोई समाचार चैनल जिसे इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमति दी गई है, इसे अनुमति प्राप्त एसएनजी/डीएसएनजी उपकरण का उपयोग करके अथवा किसी अन्य अनुमति प्राप्त समाचार चैनल अथवा किसी किराये पर लेकर, प्रसारण सेवा पोर्टल पर आवेदन के माध्यम से ऐसे किराये को पंजीकृत करने के बाद, समाचार और समसामयिकी सामग्री को अपलिंक कर सकता हैं।

(2) इन दिशानिर्देशों के तहत कोई गैर-समाचार चैनल, किसी लाइव इवेंट (समाचार और समसामयिक प्रवत्ति के अलावा कोई इवेंट) की अपलिंक के लिए उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी पर विचार किए बिना, उन विवरणों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करते

हुए लाइव इवेंट की प्रथम तिथि से कम से कम 5 पूर्ववर्ती दिनों में, प्रसारण सेवा पर स्वयं को आनलाइन पंजीकृत कर सकता है जोकि पंजीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) इवेंट की तारीख, समय, स्थान और नाम;
(ख) प्रस्तावित कार्यक्रम/इवेंट का प्रसारण/अपलिंक करने के लिए चैनल की/टेलीपोर्ट की सहमति;
(ग) प्रस्तावित कार्यक्रम/इवेंट की विनिर्दिष्ट तिथियों और समय के साथ इवेंट के मालिक को यथोचित प्राधिकार देना;
(घ) टेलीपोर्ट ऑपरेटर को जारी किया गया वैध डब्ल्यूपीसी लाइसेंस, जहां एसएनजी/डीएसएनजी उपकरण अथवा ऐसी कोई प्रौद्योगिकी डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की आवश्यकता के लिए उपयोग की जाती है।
(ङ) जहां एसएनजी/डीएसएएनजी को छोड़कर किसी उपकरण अथवा विनिर्देशों, का उपयोग किया जाता है।

बशर्ते यदि कोई गैर-समाचार चैनल प्रसारण सेवा पर स्वयं को पंजीकृत किए बिना किसी इवेंट को लाइव अपलिंक करता है, यह इवेंट का तत्काल सीधा प्रसारण रोकने के लिए लिखित में आदेश द्वारा और छह महीनों तक की अवधि के लिए किसी तरह का सीधा प्रसारण के लिए चैनल को निषेध करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश के अलावा चैनल के स्थगन/रद्दकरण सहित, दिशानिर्देशों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

बशर्ते इसके बाद कि गैर-समाचार चैनल को किसी तरह के इवेंट का सीधा प्रसारण करने की अनुमति बहीं होगी जो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली 1994 के नियम 6 में निर्धारित कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन है।

(3) उप-धारा (2) की शर्तों में प्रसारण सेवा पर पंजीकरण इवेंट का सीधा प्रसारण करने के लिए कंपनी/एलएलपी को सक्षम करेगा, और मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) केवल मंत्रालय और दूरदर्शन द्वारा अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट आपरेटर/चैनल के मालिक अन्य प्रसारकों जिन्हें भारत से अपलिंक करने की अनुमति है, को एसएनजी/डीएसएनजी उपकरण/ढांचा किराए पर दे सकते हैं।

(5) लाइव अपलिंक करने के उद्देश्य से, कंपनी निम्नलिखित उपयोग कर सकती है:

(क) इस धारा में निर्धारित शर्तों के अनुसार एसएनजी/डीएसएजी उपकरण; और अथवा

(ख) टेलीविजन नेटवर्क उपकरण (बैग पैक) अथवा ऐसा कोई अन्य यंत्र/उपकरण, इस शर्त पर कि कोई ऐसा यंत्र/उपकरण/जो प्रसारण सेवा पोर्टल पर मंत्रालय के साथ पंजीकृत है।

(6) क्या लाइव अपलिंक किया जा रहा इवेंट समाचार और समसामयिक प्रकृति का है अथवा नहीं इसका निर्णय केंद्र सरकार लेगी और चैनल के स्वामी के लिए इसे मानना बाध्यता होगी।

(7) किसी विदेशी समाचार चैनल/एजेंसी को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, प्रसारण सेवा पोर्टल पर से पूर्व निर्धारित टेलीपोर्ट के जरिए समय-समय पर लाइव अपलिंक करने के लिए किसी समय एक वर्ष तक की अनुमति प्रदान की जा सकती है:

(क) आवेदक पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है।

(ख) आवेदक कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के अनुपालन की शपथ लेता है।

(ग) आवेदक के पास अनुमति की अवधि के लिए प्रासंगिक टेलीपोर्ट के साथ बाध्यकारी करार है।

(घ) आवेदक सीधा प्रसारण का एक लाख रुपए प्रतिदिन के प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करता है।

(ड) इस तरह से अपलिंक किया गया समाचार/फुटेज मुख्य रूप से विदेशी समाचार एजेंसी/चैनल द्वारा विदेश में उपयोग के लिए होगा और भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति और चैनल के पंजीकरण के बिना प्रसारण नहीं किया जाएगा।

भाग VIII
सैटेलाइट/टेलीपोर्ट परिवर्तन

20. सैटेलाइट/टेलीपोर्ट परिवर्तन के लिए आवेदन - (1) कंपनी/एलएलपी सैटेलाइट/टेलीपोर्ट सेवा प्रदाता के साथ वैध करार के साथ प्रसारण सेवा पोर्टल पर सैटेलाइट/टेलीपोर्ट परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगी।

(2) आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए इसे अंतरिक्ष विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा।

21. सैटेलाइट/टेलीपोर्ट परिवर्तन के लिए अनुमति - अंतरिक्ष विभाग से प्रस्तावित परिवर्तन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के बाद, कंपनी/एलएलपी को मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अनुमति दी जाएगी।

भाग IX
उल्लंघन के लिए शास्तियां

22. नियमों और शर्तों के अतिक्रमण और उल्लंघन के परिणाम - (1) जब कभी किसी चैनल/टेलीपोर्ट/एसएनजी/डीएसएनजी को केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के साथ असंगत, किसी सामग्री, संदेशों, अथवा सूचना का प्रसारण करने/अपलिंक करने के लिए उपयोग करते हुए पाया जाता है तो यह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक में दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा:

i. निकाय को लिखित चेतावनी प्रेषित किए जाने के लिए;

ii. माफी सूची पत्र, चैनल पर चलाए जाने के लिए;

iii. चैनल पर निदेशक/सीईओ द्वारा पढ़े जाने के लिए माफी का विवरण;

iv. अनुमति का स्थगन/निरसन;

v. पांच वर्षों तक की अवधि के लिए दिशानिर्देशों के तहत किसी भी तरह की अनुमति प्राप्त करने से अयोग्यता।

(2) जब कभी किसी अनुमति धारक को अनुमति के किसी भी नियम और शर्तों अथवा इन दिशानिर्देशों के किसी अन्य उपबंधों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो मंत्रालय को निम्नलिखित के तहत कार्रवाई करने का अधिकार होगा:

क्र.सं.	**उल्लंघन**	**उल्लंघन के लिए कार्रवाई**
i.	कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव के बारे में मंत्रालय को विलंब से सूचना/सूचना नहीं देना।	चेतावनी और/अथवा 30 दिनों तक प्रसारण का निषेध
ii.	मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना निदेशक की नियुक्ति।	चेतावनी और/अथवा 30 दिनों तक प्रसारण का निषेध
iii.	उस निदेशक को नहीं हटाना जिसे सुरक्षा मंजूरी से वंचित किया गया है।	30 दिनों तक प्रसारण का निषेध, अनुमति का स्थगन/रद्दकरण
iv.	दोहरा प्रतीकचिन्ह/प्रतीक चिन्ह अथवा नाम दर्शाना जिसकी अनुमति मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई है	चेतावनी और/अथवा 30 दिनों तक प्रसारण का निषेध
v.	लगातार दो अनुगामी वित्तीय वर्षों के अंत में निवल मूल्य बनाए नहीं रखना	चेतावनी और/अथवा 10 दिनों तक प्रसारण का निषेध
vi.	चैनल के संबंध में मंत्रालय को सूचित किए बिना, लगातार 60 दिनों से अधिक (परंतु 90 दिनों से कम) परिचालन में नहीं रहने के लिए,	चेतावनी
vii.	चैनल के संबंध में 90 दिनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए परिचालन में नहीं रहने के लिए,	अनुमति का स्थगन/निरसन
viii.	देय तिथि से एक वर्ष की अवधि से परे वार्षिक अनुमति शुल्कों का भुगतान नहीं करना	30 दिनों तक प्रसारण का निषेध/चैनल का स्थगन
ix.	किसी गैर-समाचार और समसामयिक चैनल द्वारा किसी लाइव इवेंट के प्रसारण के लिए पंजीकरण नहीं होना	चेतावनी और/अथवा 10 दिनों तक प्रसारण का स्थगन/रद्दकरण, सीधे प्रसारण पर रोक, छह महीनों की अवधि के लिए लाइव प्रसारण का निषेध

क्र.सं.	उल्लंघन	उल्लंघन के लिए कार्रवाई
x.	गैर-समाचार चैनल द्वारा किसी लाइव इवेंट का प्रसारण, जिसकी सामग्री कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करती है	सीधा प्रसारण पर रोक, छह महीनों की अवधि के लिए लाइव प्रसारण का निषेध
xi.	गैर-अनुमति प्राप्त एसएनजी/डीएसएनजी उपकरण का उपयोग	30 दिनों तक प्रसारण का निषेध; अनुमति का स्थगन/रद्दकरण

(3) उप-धारा (1) और (2) के तहत विनिर्दिष्ट मंत्रालय द्वारा की गई दण्डात्मक कार्रवाई के अनुपालन में अनुमति धारक के असफल होने की स्थिति में, मंत्रालय अनुमति रद्द कर सकता हे और अनुमति की शेष अवधि के लिए चैनल के प्रसारण को निषेध कर सकता हे तथा कंपनी/एलएलपी को पांच वर्षों तक की अवधि के लिए भविष्य में किसी तरह की नई अनुमति धारण करने हेतु अयोग्य घोषित कर सकता है।

(4) उपरोक्त के बावजूद, केंद्र सरकार के पास निम्नलिखित अधिकार होगा:

(क) सार्वजनिक हित में अथवा इसका दुरूपयोग रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अवधि के लिए कंपनी की अनुमति को स्थगित करना और

(ख) चैनल के परिचालन पर रोक लगाना जैसाकि केबल टेलीविजन (नेटवर्क) विनियमन अधिनियम, 1995 की धारा 20 के तहत निर्धारित है और कंपनी/एलएलपी ऐसे किसी किसी निदेश/आदेश का तत्काल पालन करेगी।

(5) अनुमति के निरसन की स्थिति में, भुगतान किया गया शुल्क जब्त हो जाएगा।

(6) इस अध्याय के तहत कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि कंपनी/एलएलपी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता।

भाग X
विविध

23. **गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा निकासी प्रमाण पत्र** – (1) आवेदन करने वाली कंपनी/एलएलपी को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सुरक्षा मंजूरी के लिए दिशानिर्देशों के तहत आवेदन करना अनिवार्य होगा।

(i) चैनल/टेलीपोर्ट/समाचार एजेंसी को आरंभिक आवेदन के समय और अनुमति के प्रचलन के दौरान –

(क) जहां आवेदन टेलीपोर्ट के लिए, या चैनल की अपलिंकिंग के लिए या चैनल की डाउनलिंकिंग के लिए या समाचार एजेंसी के लिए अनुमति हेतु किया गया हो-

I. कंपनी/एलएलपी और शेयरधारक/पार्टनर के लिए जो इक्विटी धारक हो या जिसका शेयर **10%** से ज्यादा हो;

II. कंपनी/एलएलपी का निदेशक

III. विदेशी समाचार चैनल (जो भारतीय कंपनी/एलएलपी द्वारा स्वामित्व वाला न हो) की डाउनलिंकिंग की अनुमति मांगने वाली कंपनी/एलएलपी द्वारा।

(ख) जहां कंपनी/एलएलपी के निदेशकों के बदलने का प्रस्ताव रखा गया हो:

I. नए निदेशक की नियुक्ति के लिए की जाएगी;

II. विदेशी समाचार चैनल (जो भारतीय कंपनी/एलएलपी द्वारा स्वामित्व वाला न हो) की डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति मांगने वाली कंपनी/एलएलपी के मामले में नए प्रमुख कार्यकारी के लिए, जो भी नाम कहा जाए, की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) जहां शेयरहोल्डिंग पैटर्न इस हद तक बदल जाता है कि एक नए शेयरधारक के पास शेयरहोल्डिंग का **10%** से अधिक हो, ऐसे शेयरधारक के संबंध में।

(ii) कंपनी/टेलीपोर्ट/समाचार एजेंसी की अनुमति के नवीकरण के लिए आवेदन के समय, कंपनी/एलएलपी के संबंध में, और शेयरधारकों/पार्टनरों के लिए (जहां

शेयरहोल्डिंग/शेयर **10%** से ज्यादा हो**)** और निदेशकों/प्रमुख कार्यकारियों **(**जैसा भी**)** के संबंध में मंजूरी अनिवार्य हो**;**

(iii) धारा **29** के तहत अन्य इकाई को चैनल/टेलीपोर्ट के हस्तांतरण के लिए आवेदन के समय, जहां हस्तांतरी कंपनी/एलएलपी या इसके किसी निदेशक के पास मंजूरी नहीं है।

(iv) एक कंपनी/एलएलपी की दूसरे कंपनी/एलएलपी से चैनल के हस्तांतरण से पहले, जहां चैनल पर स्वामित्व प्राप्त करने वाली कंपनी/एलएलपी दिशानिर्देशों के तहत अनुमति धारक नहीं है, या ऐसे हस्तांतरण के समय ऐसे कंपनी के बोर्ड के निदेशकों और स्वामित्व/शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव है।

(2) जब एक बार गृह मंत्रालय द्वारा एक इकाई को मंजूरी दी जाती है, वह **10** वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

परंतु यदि गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी समय अनुमतिधारक से मंजूरी वापस ले ली जाती है, तब कंपनी/एलएलपी को सुनवाई का अवसर देने के बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा।

24. राजस्व विभाग, **वित्त मंत्रालय का संदर्भ**- (1) मंत्रालय राजस्व विभाग/वित्त मंत्रालय के संदर्भ में लिखित में कारणों को दर्ज करने के लिए कह सकता है।

परंतु इस तरह का संदर्भ अनिवार्य रूप से भारतीय कानूनों के तहत सम्मिलित या गठित नहीं की गई कंपनी/एलएलपी द्वारा स्वामित्व वाले चैनल को डाउनलिंक करने के लिए किसी कंपनी/एलएलपी द्वारा अनुमति प्राप्त करने के संबंध में किया जाएगा।

(2) मंत्रालय, राजस्व विभाग से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर, कंपनी/एलएलपी को अनुमति प्रदान करने के लिए उपयुक्त निर्णय ले सकता है।

25. नए निदेशक की नियुक्ति – (1) इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमति प्राप्त एक कंपनी/एलएलपी, मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी नए व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं करेगा।

(2) निदेशक के रूप में किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति के उद्देश्य के लिए, कंपनी/एलएलपी, गृह मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मंत्रालय को सभी संगत विवरण प्रस्तुत करेगा।

(3) गृह मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय कंपनी/एलएलपी को अपनी अनुमति सूचित करेगा, और ऐसी सूचना को स्वीकारते हुए किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

परंतु जहां गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी से इनकार किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

परंतु आगे जहां गृह मंत्रालय कंपनी/एलएलपी के किसी मौजूदा निदेशक से मंजूरी वापस लेता है, कंपनी/एलएलपी ऐसे व्यक्ति को तत्काल निदेशक बोर्ड से हटाएगा।

(4) मंत्रालय के निर्णय के गैर-अनुपालन को इन दिशानिर्देशों के तहत उल्लंघन समझा जाएगा और शास्ति कार्रवाई की जा सकती है।

26. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव के संबंध में सूचना – (1) इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमति प्राप्त कंपनी एलएलपी, इसके शेयरहोल्डिंग पैटर्न या एफडीआई पैटर्न में बदलाव को **30** दिनों के भीतर मंत्रालय को संशोधित पैटर्न के विवरणों और सभी निवेशकों के नामों/विवरणों के सहित सूचित करेगा।

<u>व्याख्या:-</u> किसी भी व्यक्ति या किसी इकाई द्वारा धारित इक्विटी में **10%** या उससे अधिक के बदलाव को शेयरहोल्डिंग पैटर्न के बदलाव में शामिल किया जाएगा।

(2) एफडीआई पैटर्न में प्रत्येक बदलाव भारत सरकार की एफडीआई नीति के अनुरूप होना चाहिए।

27. जानकारी और दस्तावेजों को प्रस्तुत करना – मंत्रालय समय-समय पर कंपनी/एलएलपी से आवेदन पर कार्रवाई के समय और आवेदन के प्रचलन के दौरान ऐसी जानकारी और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जोकि दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।

28. विदेशी मुद्रा का प्रेषण – (1) जहां तक कंपनी/एलएलपी को इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमति से संबंध लेनदेन के लिए किसी विदेशी इकाई को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा भेजना आवश्यक होता है, यह ब्रॉडकास्ट सेवा पर ऑनलाइन आवेदन करके मंत्रालय से अनुमति मांग सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन पर मंत्रालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार अनुमति प्रदान की जाएगी।

29. टेलीविजन चैनल या टेलीपोर्ट की अनुमति का हस्तांतरण - (1) इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमति प्राप्त कंपनी/एलएलपी द्वारा टीवी चैनल टेलीपोर्ट को, मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बाद ही अन्य इकाई को हस्तांतरित किया जा सकता है।

(2) उप धारा **(1)** के लिए तहत हस्तांतरण के निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी:

(क) कंपनी अधिनियम, **2013** के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय/ट्रिब्यूनल द्वारा विधिवत अनुमोदित विलय/डिमर्जर/समामेलन और कंपनी/एलएलपी उक्त योजना को मंजूरी देने वाले न्यायालय/ट्रिब्यूनल के आदेश की प्रति दाखिल करती है;

(ख) लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार व्यावसायिक उपक्रम का हस्तांतरण और कंपनी/एलएलपी इसकी और हस्तांतरित कंपनी/एलएलपी के बीच में निष्पादित करार व्यवस्था की प्रति को दाखिल करती है।

(ग) समूह कंपनी के भीतर हस्तांतरण, और कंपनी अंडरटेकिंग दाखिल करती है जिसमें कहा गया है कि हस्तांतरण समूह कंपनियों के भीतर ही है।

व्याख्या 1: ''समूह कंपनी'' के संबंध में कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है, जो कि एक ही प्रबंधन के अधीन है और/या दूसरी कंपनी के रूप में एक ही प्रमोटर है या जिस पर अन्य कंपनी महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण करती है और इसमें एक सहयोगी कंपनी, सहायक कंपनी या एक संयुक्त उद्यम कंपनी भी शामिल होगी।

व्याख्या 2: इस खंड के उद्देश्य का महत्वपूर्ण प्रभाव से तात्पर्य कुल भुगतान शेयर पूंजी का कम से कम **20%** या करार अथवा अन्यथा द्वारा निदेशक बोर्ड को कम से कम एक तिहाई को नियुक्त करने का अधिकार है।

(3) चैनल का हस्तांतरण निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन हो:

(क) नई इकाई निवल मूल्य सहित इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत पात्रता मानदंड के अनुसार पात्र होनी चाहिए और इकाई तथा संस्था को मंजूरी मिली होनी चाहिए।

(ख) नई इकाई को प्रदान की जाने वाली अनुमति से संबंधित सभी निबंधनों और शर्तों के अनुपालन का वचन देना चाहिए।

30. केवल विदेशों में देखे जाने हेतु टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग – (1) ऐसे टीवी चैनलों के लिए जो भारत में प्रचालित हो रहे हैं और भारत से अपलिंक हैं, लेकिन जो केवल विदेशी दर्शकों के लिए हैं से अपेक्षा है कि वह देश जिसके लिए सामग्री निर्मित और अपलिंक की जा रही है के नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

परंतु यह कि अपलिंक की गई सामग्री में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ के ही मित्र देशों के साथ उनके संबंधों के विपरीत हो।

(2) एक विदेशी कंपनी/इकाई के स्वामित्व वाले चैनल को संबंधित टेलीपोर्ट ऑपरेटर द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत ब्रॉडकास्ट सेवा पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से एक अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट ऑपरेटर की सुविधा का उपयोग करके भारत से बाहर देखे जाने हेतु अपनी सामग्री को अपलिंक करने की अनुमति दी जा सकती है।

परंतु यह है कि ऐसी सुविधा का उपयोग करने के लिए अनुमति केवल गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ही दी जाएगी।

31. अवशिष्ट खंड – प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग से संबंधित अन्य अनुमति/मामलों के लिए, जो दिशानिर्देशों में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी होगा।

<u>परिशिष्ट-I</u>

I. प्रक्रिया शुल्क

आवेदक कंपनी/एलएलपी निम्नानुसार अप्रतिदेय प्रक्रिया शुल्क अदा करेगी:

क्र.सं.	**अनुमति का प्रकार**	**शुल्क की राशि (रुपये में)**
1.	टेलीपोर्ट	**10** हजार
2.	टीवी चैनल	**10** हजार
3.	समाचार एजेंसी	**10** हजार

II. <u>वार्षिक अनुमति शुल्क</u>

अनुमतिधारक कंपनियां नीचे दिए गए के अनुसार वार्षिक अनुमति शुल्क अदा करेंगे:

क्र.सं.	**अनुमति का प्रकार**	**शुल्क की राशि (रुपये में)**
1.	टेलीपोर्ट	एक टेलीपोर्ट का दो लाख
2.	टीवी चैनल की अपलिंकिंग	एक चैनल का दो लाख
3.	भारत से टीवी चैनल की डाउनलिंकिंग	एक चैनल का पांच लाख
4.	भारत के बाहर से टीवी चैनल की डाउनलिंकिंग	एक चैनल का पंद्रह लाख
5.	भारतीय टेलीपोर्ट से विदेशी चैनल की अपलिंकिंग	एक चैनल का पांच लाख

<u>भुगतान अनुसूची</u>

(1) पात्र माने जाने के बाद, कंपनी/एलएलपी अनुमति जारी करने से पूर्व पहले वर्ष के लिए अनुमति शुल्क चुकाएगी। अनुवर्ती वर्ष के अनुमति शुल्क की नियत तारीख टेलीपोर्ट/टीवी चैनल के प्रचलन की तारीख से 1 वर्ष तक की रहेगी और ऐसे शुल्क के देय होने से 60 दिन पूर्व जमा करना होगा।

(2) नियत तारीख के बाद चुकाए गए वार्षिक शुल्क में प्रतिमाह 2% की साधारण ब्याज दर से विलंब शुल्क लगाया जाएगा। विलंब शुल्क की गणना हेतु अधूरे महीने को एक महीने के रूप में माना जाएगा।

परिशिष्ट-II

अपेक्षित निवल मूल्य राशि

आवेदक कंपनी/एलएलपी के पास निम्नानुसार निवल पूंजी होनी चाहिए:-

क्र.सं.	**मद**	**न्यूनतम निवल मूल्य (करोड़ रुपए में)**
1.	पहले टेलीपोर्ट के लिए	**3.00**
2.	प्रत्येक अतिरिक्त टेलीपोर्ट के लिए	**1.00**
3.	पहले गैर-समाचार एवं समसामयिक टीवी चैनल के लिए	**5.00**
4.	प्रत्येक अतिरिक्त गैर-समाचार एवं समसामयिक टीवी चैनल के लिए	**2.50**
5.	पहले समाचार एवं समसामयिक टीवी चैनल के लिए	**20.00**
6.	प्रत्येक अतिरिक्त समाचार एवं समसामयिक टीवी चैनल के लिए	**5.00**

परिशिष्ट-III

रॉल आउट बाध्यताएं और कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी

क्र.सं.	अनुमति का प्रकार	रॉल आउट बाध्यताएं
1	टेलीपोर्ट	• पात्रता माने जाने के पश्चात, आवेदक कंपनी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पक्ष में किसी भी अधिसूचित बैंक से, उपरोक्त निर्धारित रॉल आउट बाध्यता को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अनुमति जारी करने से पूर्व प्रत्येक टेलीपोर्ट के लिए **25** लाख रु. की कार्य निष्पादन बैंक गारंटी **(**पीबीजी**)** प्रस्तुत करेगी। • कंपनी डब्ल्यूपीसी और एनओसीसी से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की तारीख से **1** वर्ष के भीतर टेलीपोर्ट को प्रचालित करेगी। • यदि कंपनी **1** वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर प्रचालित नहीं करती है तो अनुमति रद्द कर दी जाएगी और पीबीजी जब्त कर ली जाएगी।
2	टीवी चैनल	• पात्रता माने जाने के बाद, आवेदक कंपनी रोलआउट बाध्यताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अनुमति जारी करने से पूर्व प्रत्येक गैर-समाचार और समसामयिक चैनल के लिए किसी भी अधिसूचित बैंक से एक करोड़ रु. **(**गैर समाचार एवं समसामयिक चैनल के लिए**)** 2 करोड रुपए **(**समाचार एवं समसामयिक चैनल के लिए**)** का कार्य निष्पादन बैंक गारंटी **(**पीबीजी**)** प्रस्तुत करें। • आवेदक कंपनी डब्ल्यूपीसी और एनओसीसी से सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की तारीख से **1** वर्ष के भीतर अनुमति प्राप्त टीवी चैनल को प्रचालित करेगा। • यदि चैनल के अनुमति की तारीख से **1** वर्ष के भीतर प्रचालित नहीं किया जाता है तो अनुमति रद्द कर दी जाएगी और पीबीजी जब्त कर ली जाएगी।

क्र.सं.	अनुमति का प्रकार	रॉल आउट बाध्यताएं
3	एसएनजी/डीएसएनजी	• पात्रता माने जाने के बाद, आवेदक कंपनी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पक्ष में उपरोक्त निर्धारण रॉल आउट बाध्यता को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अनुमति जारी करने से पूर्व प्रत्येक एसएनजी/डीएसएनजी वेन के लिए किसी भी अधिसूचित बैंक से दस लाख रुपए की कार्य निष्पादन बैंक गारंटी पीबीजी प्रस्तुत करेगा। • आवेदक कंपनी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति जारी करने की तारीख से **6** महीने के भीतर एसएनजी/डीएसएनजी को प्रचालित करेगा। • यदि एसएनजी/डीएसएनजी वैन को **6** महीने के भीतर प्रचालित नहीं किया जाता है तो अनुमति रद्द कर दी जाएगी और पीबीजी जब्त कर ली जाएगी।